Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

राजेन्द्र बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **001** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.03.2022	वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली को सुनवाई हेतु रखा गया। पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी राजेन्द्र बंजारा पिता गोवर्धनलाल बंजारा जाति बंजारा उम्र 30 साल निवासी बोरडा थाना व तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा की और से पुलिस थाना साडास में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 009/2022 दिनांक 01.02.2022 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात विनियमन) नियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GA 7572** को प्रार्थी अधिकृत वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना साडास से कमेन्ट्स मय केस डायरी के प्राप्त किए गए। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना साडास द्वारा पत्रांक/152 दिनांक 23.02.2022 से अवगत कराया गया कि वाहन की आवश्यकता नहीं है, अनुसंधान हो गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना साडास द्वारा प्रेषित शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना साडास से प्राप्त अनुसंधान पत्रावली का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना साडास द्वारा अवगत कराया गया है कि वाहन की आवश्यकता नहीं है, अनुसंधान हो गया है, चूंकि वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GA 7572** की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अतः पन्द्रह लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना साडास से प्राप्त केस डायरी लौटाई जावें। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। -S/D- (अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official